17/01/23 — पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ पक्षकारान 34/
प्रार्थना पत्र 2019 से मैरवाज का है। प्रकरण
कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं
हुआ है। चूंकि प्रकरण में अब तक
अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं होने
से प्रकरण में आगे प्रकरण
चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं
होता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act का
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम कि जाकर
दाखिल दफ्तर हो।